रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 212B] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 1, 1971/अग्रहायण 10, 1893

No. 212B NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 1, 1971/AGRAHAYANA 4, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

CABINET SECRETARIAT

(Mantrimandal Sachivalaya)

(Department of Personnal)

(Karmik Vibhag)

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd November 1971

G.S.R. 1788B.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951), read with sub-rule (1) of rule 4 of the Indian Police Service (Cadre) Rules, 1954, the Central Government, in consultation with the Government of West Bengal, hereby makes the following regulations further to amend the Indian Police Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1955, namely:—

1. (1) These regulations may be called the Indian Police Service (Fixation of Cadre Strength) Sixth Amendment Regulations, 1971.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Indian Police Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations 1955, for the entries relating to "WEST BENGAL", the following entries shall be substituted, namely:—

"WEST BENGAL

1.	Senior Posts under the State Government		95
	Inspector General of Police	1	
	Additional Inspector General of Police	1	
	Commissioner of Police, Calcutta	1	
	Deputy Inspectors General of Police, Ranges (Burdwan, Presidency & Jalpaiguri).	3	
	Deputy Inspector General of Police (I. B.)	1	
	Deputy Inspector General of Police (C. I. D. and Enforcement Branch).	1	
	Deputy Inspector General of Police (Traffic and Railways).	1	
	Deputy Inspector General of Police (Armed Police).	1	
	Deputy Inspector General of Police (Head Quarters).	1	
	Deputy Inspector General of Police (Training).	1	
	Deputy Commissioners of Police, Calcutta	16	
	Deputy Commissioner of Police (Security Control)	1	
	Assistant Inspector General of Police	2	
	Superintendents of Police	15	
	Additional Superintendents of Police	22	
	Superintendent of Police (Vigilance)	1	
	Superintendent of Police (Cordoning)	1	
	Superintendent of Police (Enforcement Branch)	1	
	Superintendent of Police, Railways	3	
	Superintendent of Police, Wireless	1	
	Principal, Detective Training School	1	
	Commandans of Eastern Frontier Rifles	2	
	Commandant, State Armed Police Battalions	5	
	State Commondant, West Bengal National Volunteer Force.	1	
	Assistant Inspector General of Police (Cordoning)	1	
	Special Superintendents of Police	6	
	Special Superintendent of Police (Intelligence Branch).	1	
	Deputy Commissioner of Police, Eastern Sub-Urban Division, Calcutta.	1	
	Deputy Commissioner of Police (Armed Police 4th Battalion).	1	
	Deputy Commissioner of Police (Detective Department).	1	
		95	
2.	Central Deputation Reserve @ 40 per cent of 1 above.	38	
		133	
3.	Posts to be filled by promotion & Selection under Rule 8 of the IPS (Recruitment) Rules, 1954 @ 25 per cent of 1 & 2 above.	33	
4.	Posts to be filled by Direct Recruitment 1 and 2 minus 3 above.	100	
5.	Deputation Reserve @ 20 per cent of 4 above.	20	
6.	Leave Reserve @ 5 per cent of 4 above.	5	
7.	Junior posts @ 20.6 per cent of 4 above.	21	

8.	Training Reserve @ 10.59 per cent of 4 above	11
	Direct Recruitment posts	157
	Promotion posts	33
	Total Authorised Strength	190"

[No. 31/27/71-AIS(II)-(A).]

ANNA R. GEORGE, Jt. Secy.

मंत्रिमण्डल सचिवालय

(कार्मिक विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 नवम्बर, 1971

सा० का० नि० 1788अ.—भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग) नियम, 1954 के नियम 4 के उपनियम (1) के साथ पठित अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार के परामर्श से भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग संख्या का नियतन) विनियम, 1955 में और संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) ये विनियम भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग संख्या का नियतन) छटा संशोधन विनियम, 1961 कहे जा सकेंगे ।

(2) ये विनियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे ।

2. भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग संख्या का नियतन) विनियम, 1955 की अनुसूची में 'पश्चिम बंगाल' की प्रविष्ठियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित कर दी जायगी, अर्थात् :—

"पश्चिम बंगाल

1.	राज्य सरकार के अधीन वरिष्ठ पद	95
	पुलिस महानिरीक्षक	1
	अपर पुलिस महानिरीक्षक	1
	पुलिस के आयुक्त, कलकत्ता	1
	पुलिस उप महानिरीक्षक रेंज (बर्दवान, प्रेसीडेन्सी और जलपाइगुरी)	3
	पुलिस के उप महानिरीक्षक (खुफिया ब्यूरो)	1
	पुलिस के उप महानिरीक्षक (खुफिया और प्रवर्तन शाखा)	1
	पुलिस के उप महानिरीक्षक (यातायात और रेलवे)	1
	पुलिस के उप महानिरीक्षक (सशस्त्र पुलिस)	1
	पुलिस के उप महानिरीक्षक (मुख्यालय)	1
	पुलिस के उप महानिरीक्षक (ट्रेनिंग)	1

पुलिस के उपायुक्त, कलकत्ता	16
पुलिस के उपायुक्त (सुरक्षा नियंत्रण)	1
पुलिस के सहायक महानिरीक्षक	2
पुलिस के अधीक्षक	15
पुलिस के अपर अधीक्षक	22
पुलिस के अधीक्षक (सतर्कता)	1
पुलिस के अधीक्षक (समन्वय)	1
पुलिस के अधीक्षक (प्रवर्तक शाखा)	1
पुलिस के अधीक्षक, रेलवे	3
पुलिस के अधीक्षक, (बेतार)	1
प्रधानाचार्य, गुप्तचर ट्रेनिंग स्कूल	1
कमांडेंट, पूर्वी सीमा क्षेत्र राइफल्स	2
कमांडेंट, राज्य सशस्त्र पुलिस बटालियन	5
स्टेट कमांडेंट, पश्चिम बंगाल राष्ट्रीय स्वयंसेवक फोर्स	1
पुलिस के सहायक महानिरीक्षक (समन्वय)	1
पुलिस के विशेष अधीक्षक	6
पुलिस के विशेष अधीक्षक (खुफिया शाखा)	1
पुलिस के उपायुक्त	1
पूर्वी उप-नगर क्षेत्र, कलकत्ता पुलिस के उपायुक्त (सशस्त्र पुलिस की चौथी बटालियन)	1
पुलिस के उपायुक्त (गुप्तचर विभाग)	1
	95
2. केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व उपयुक्त 1 के 40 प्र० श० के हिसाब से	38
	133

3. भारतीय पुलिस सेवा (भर्ती नियम, 1954 के नियम 8 के अधीन पदोन्नति व प्रवरण द्वारा भरे जाने वाले पद उपयुक्त 1 और 2 के 25 प्र० श० के हिसाब से	33
4. सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पद उपर्युक्त 1 और 2 में से 3 घटाकर	100
5. प्रतिनियुक्ति रिजर्व उपर्युक्त 4 के 20 प्र० श० के हिसाब से	20

6. छुट्टी रिजर्व उपर्युक्त 4 के 5 प्र० श० के हिसाब से	5
7. कनिष्ठ पद उपर्युक्त 4 के 20·60 प्र० श० के हिसाब से . .	21
8. प्रशिक्षण रिजर्व उपर्युक्त 4 के 10.59 प्र० श० के हिसाब से .	11
	157
सीधी भर्ती पद	
पदोन्नति पद	33
कुल प्राधिकृत संख्या	190"

[सं० 31/27/71-प्र० भा० से० (II)-(क).]

अन्ना आर० जार्ज, संयुक्त सचिव।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1971